रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275172
CG-DL-E-04082026-275172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 4146] | नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948 |
| No. 4146] | NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948 |

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

**का.आ. 4322(अ).—** केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति' (पैन: AAAGO0158G), जो कि ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है, को इस निकाय को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है यथा:

(क) उम्मीदवारों से एकत्र किया गया परीक्षा शुल्क;

(ख) काउंसलिंग और आवेदन प्रसंस्करण शुल्क; तथा

(ग)बैंक जमा पर ब्याज

**2.** यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा

(ग) की गतिविधियां और विविनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

**3.** पैराग्राफ 2 में विविनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के साथ पठित धारा 11 के अंतर्गत दी गयी छूट वापस ले ली जायेगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जायेगी।

3. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 110 /2026/ फा.सं. 300196/39/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव